कार्यालय– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 510 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016–17/दिनांक 3/9/16

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली–2014 के नियम–5(3) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा नियमावली के नियम 8 के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभागीय लिखित परीक्षा हेतु विषयवार अवधारित 10 प्रतिशत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के आधार पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/7522/उप्राशिप/एल.टी.सी.भ.च.सं./2016–17/दिनांक 27.05.2016 द्वारा विभागीय लिखित परीक्षा में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थी को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैण्ड: 9300–34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–7 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीविक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: हिन्दी (शाखा–सामान्य)

क्र0 सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदनाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती गोदाम्बरी बिजल्वाण, सहायक अध्यापिका, रा.प्रा. वि. मोलगा, पट्टी–ऑण (प्रतापनगर) टिहरी गढ़वाल	110.06.1973	टिहरी	सामान्य	महिला	रा.इ.का. मेहरावना (चकराता) देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल) 3/9/16
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./15246–61 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016–17/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी ।
10. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0/बे0)।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
13. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।

14. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा अभिलेखों एवं समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्रों का भली-भाँति परीक्षण कर लें, दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी केवल वाई क्षेत्र के विद्यालय में नियुक्त हो यह तथ्य जॉचकर ही तत्पश्चात कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा परिवर्तन की दशा में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें।

सहायक अध्यापक (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें अनिवार्य हैं :-
(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य, जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (ii) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी. एड. की उपाधि तथा जैसा नियमावली में विहित है।

15. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मूल में अवलोकित कराने के उपरान्त अभिलेखों की छायाप्रति सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्व कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही उनके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है।

16. कार्यालय प्रति।

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।